



# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन0एस0बी0-2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, सदाकत आश्रम पटना-800010

दूरभाष संख्या : 2261250 / 2262265 / 2261709

ई-मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट-<http://bspcb.bih.nic.in>

अधिसूचना सं० : 31

दिनांक: 09/12/19

## अधिसूचना

पर्षद् मंडल की 108वीं बैठक, दिनांक 24.10.2019 के कार्यावली संख्या 10 में लिए गए निर्णयानुसार राज्य अन्तर्गत, स्थापित/संचालित औद्योगिक इकाईयों द्वारा जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निहित प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले (Non- Complying) इकाईयों से वसूलनीय पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की गणना, माननीय एन0 जी0 टी0, प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा O.A No.- 593/2017 में निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार की जायेगी। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि किसी भी स्थिति में रू0 5000/- प्रतिदिन से कम नहीं, तथा इकाई के पूँजीगत लागत के 50 प्रतिशत की राशि से अधिक नहीं होगी।

यह निर्णय अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव